NERP - 2016 - 3

ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(2)(1)रोल / निर्वा / 2015 / पार्ट–II / NERP / 1491 जयपुर, दिनांक 7/4/16.

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016 – मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों का घर–घर जाकर सत्यापन करना।

प्रसंगः इस विभाग का समसंख्यक पत्र कमांक 942 दिनांक 03.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 942 दिनांक 03.03.2016 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार **"मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान – 2016"** के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यो के विषय में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। तद्नुसार सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) के द्वारा माह मार्च, 2016 में इस अभियान से संबंधित सभी प्रारम्भिक गतिविधियॉ यथा प्रपत्र 1–8 में सांख्यिकी ऑकड़ों का विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार करना, इस कार्य से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण, बीएलओ / सुपरवाईजर्स की सूची को आदिनांक करना, मतदाता सूची में सॉफटवेयर के माध्यम से चिन्हित की गई त्रुटियों की सूची मुद्रित करवाकर बीएलओ को उपलब्ध कराना एवं मतदाता सूची में मृत मतदाताओं के नामों की सूची संबंधित कार्यालय से प्राप्त करने संबंधी कार्य आदि किया जाना था।

2. **राष्ट्रीय अभियान – 2016 का कलैण्डर** – आयोग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रीय अभियान हेतु कार्यक्रम निर्धारित कर इस अभियान के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु कलैण्डर तैयार किया है। विभाग स्तर पर तद्नुसार आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब तक सम्पादित किए गए कार्यो का समावेश करते हुए एवं आगामी माहों में किए जाने वाले विभिन्न कार्यो के लिए कलैण्डर तैयार किया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 31 अगस्त, 2016 तक राष्ट्रीय अभियान के दौरान सभी कार्यो को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

3. **अभियान से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण** – इस विषय में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक 15 मार्च, 2016 को जयपुर में आयोजित किया गया है। इसके पश्चात् निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 31 मार्च, 2016 तक जिला स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना था तथा तत्पश्चात् 10 अप्रैल, 2016 तक बीएलओ/सुपरवाईजर्स को प्रशिक्षित किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्नुसार निर्धारित तिथि तक बीएलओ/सुपरवाईजर्स को प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रशिक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करें।

4. **प्रपत्र 1–8 में सांख्यिकी सूचना का विश्लेषण कर जिलेवार कार्ययोजना तैयार करना** – संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के ऑकड़ों के आधार पर प्रपत्र 1–8 में मतदान केन्द्र स्तर तक ऑकड़ों का विश्लेषण कर आयोग द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जिला/विधानसभा क्षेत्रवार ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना है जिससे अभियान के दौरान विशेष प्रयास कर कार्यवाही की जा सके। उक्त ऑकड़ों के विश्लेषण के आधार पर एक नोट दिनांक 18 मार्च, 2016 तक जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) द्वारा विभाग को प्रेषित किए जाना था, **किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, सिरोही एवं श्रीगंगानगर के अलावा शेष जिलों से उक्त सूचना अप्राप्त है, जिसके फलस्वरूप विभाग स्तर पर राज्य के परिपेक्ष्य में आयोग को नोट भेजा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से अनुरोध है कि अपने जिले से संबंधित विश्लेषणात्मक नोट विभाग को अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**

5. **स्वीप कार्ययोजना तैयार करना** – जिला स्तर पर विधानसभा क्षेत्रवार ऑकड़ों का विशलेषण कर ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जाने है जहॉ मतदाता सूचियों के ऑकड़ें निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं है। इन क्षेत्रों में स्वीप से संबंधित विशेष गतिविधियॉ आयोजित कर आम नागरिकों को जागरूक किया जाना है ताकि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मतदाताओं का पंजीकरण किया जा सके। जिला स्तर

पर स्वीप कार्ययोजना तैयार कर विभाग में दिनांक 31 मार्च, 2016 तक प्रेषित की जानी थी जो अभी तक किसी जिले से प्राप्त नहीं हुई है। **सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि जिले की स्वीप कार्ययोजना यथाशीघ्र विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा जिला स्तर पर तैयार की गई स्वीप योजना के अनुसार गतिविधियॉ भी आयोजित की जाए।**

6. **मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों का घर–घर जाकर सत्यापन करना** – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **बीएलओ दिनांक 20 अप्रैल, 2016 से 15 मई, 2016 के मध्य घर–घर जाकर मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों को सत्यापित करेंगे,** साथ ही विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई त्रुटियों की सूचियों एवं पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु कार्यालय से प्राप्त मृत व्यक्तियों की सूची के अनुसार मतदाता सूची में क्रमशः चिन्हित की गई त्रुटियों एवं मृत मतदाताओं की प्रविष्टि को सत्यापित करेंगे ताकि उनके द्वारा किए गऐ सर्वे के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा तद्नुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

6.1 **बीएलओ को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री–** मतदाता सूचियों के घर–घर सत्यापन के दौरान बीएलओ को संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ–साथ विभाग स्तर से पत्र क्रमांक 1412 दिनांक 01.04.2016 के द्वारा मतदाता सूची में चिन्हित की गई त्रुटियों की सूची एवं पत्र क्रमांक 3410 दिनांक 03.09.2015 के द्वारा मतदाता सूची में एक ही नम्बर से जारी दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र धारक मतदाताओं की सूची सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई जाए (इस सूची की सॉफ्ट कॉपी यथा शीघ्र पुनः ई.मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है)। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **"पहचान पोर्टल"** से मृत्त मतदाताओं की सूची का प्रिन्ट निकालकर भागवार बीएलओ को उपलब्ध कराया जाए। यदि पहचान पोर्टल पर सूची आदिनांक उपलब्ध नहीं है तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत पंजीयक जन्म एवं मृत्यु कार्यालय से उक्त सूचियॉ प्राप्त कर बीएलओ/सुपरवाईजर्स

को उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ–साथ बीएलओ को समुचित संख्या में फार्म 6, 7, 8 एवं 8क भी उपलब्ध करवाए जाए।

6.2 **बीएलओ द्वारा फील्ड सर्वे** – बीएलओ दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की प्रति एवं उनके भाग से संबंधित विभिन्न त्रुटियों की सूची एवं प्ररूप 6, 7, 8 एवं 8क के साथ उनके भाग में सभी पंजीकृत मतदाताओं का घर–घर जाकर भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान किसी मतदाता की प्रविष्टि में संशोधन वांछनीय है तो तद्नुसार फार्म 8 की पूर्ति कराऐगे। यदि कोई मतदाता मृत्त होना पाया जाता है तो तद्नुसार फार्म 7 भरवायेंगे। यदि कोई मतदाता कहीं अन्यत्र स्थानांतरित हो गया है तो ऐसे मतदाताओं को सूचीबद्ध किया जाकर सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जानी है। यदि एक ही परिवार के सदस्य के नाम एक ही भाग संख्या में अलग–अलग जगह अंकित है तो तद्नुसार चिन्हित करते हुए इसकी सूची कार्य सम्पादित होने के पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि मतदाता सूची के एकीकरण से पूर्व इस प्रकार की त्रुटियों को ठीक करवाया जा सके। बीएलओ फील्ड में सत्यापन का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भाग की मतदाता सूची का गहनता से अध्ययन करेंगे। इस दौरान वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं मतदाता सूची के क्रमांक के सामने मतदाता का नाम अंकित होने से तो नहीं रह गया है अथवा मतदाता के नाम के सामने है अथवा मतदाता की आयु का कॉलम रिक्त है। इन त्रुटियों को त्रुटियों प्रारम्भिक जांच ही में चिन्हित कर सूचीबद्ध कर लिया जाए ताकि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन्हें ठीक कर सके।

6.3 **मतदाताओं की ईमेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त करना** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान– 2016 के दौरान मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं के मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई.डी. की सूचना **स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित** की जानी है। उक्त सूचना का संकलन गत् वर्ष मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण (**NERPAP**) हेतु आयोजित राष्ट्रीय अभियान के दौरान

परिशिष्ट 'ए' में किया गया था। चूँकि गत् वर्ष सत्यापित की गई सूचना के आधार पर मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं के मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई.डी. की डेटा एन्ट्री मतदाता सूची के डेटाबेस पर नहीं की गई है तथा उक्त सूचना अब पुरानी हो गई है इसलिए इस सूचना को वर्तमान में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय अभियान के दौरान संकलित किया जाना है। इस हेतु **परिशिष्ट 'ए'** इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता अनुसार प्रतियॉ जिला स्तर पर की जाकर सभी बीएलओ को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके द्वारा मतदाताओं से संबंधित सूचना का संकलन किया जा सके।

6.4 **एक ही कमांक के दोहरे मतदाता फोटों पहचान पत्र धारक मतदाताओं के संबंध में** – विभाग के पत्र कमांक 3410 दिनांक 03.09.2015 के द्वारा राज्य में ऐसे मतदाताओं जिन्हें कि एक ही नम्बर/क्रमांक से मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, की सूची पूर्व में आपको उपलब्ध करवाई गई है। उक्त सूची की सॉफ्ट कॉपी यथाशीघ्र आपको पुनः उपलब्ध करवायी जा रही है। इस विधानसभावार सूची में समान मतदाता फोटो पहचान पत्र धारित मतदाताओं की प्रविष्टि साथ–साथ मुद्रित की गई है। इस सूची में मतदाता की फोटो के ऊपर संबंधित मतदाता की विधानसभा क्षेत्र का नम्बर एवं भाग संख्या मुद्रित है जिससे मतदाता सूची में संबंधित मतदाता की प्रविष्टि ज्ञात की जा सकती है। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही उक्त सूची का नमूना इस दिशानिर्देश के साथ अनुलग्न–1 पर संलग्न है

उक्त सूची में संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर भी राज्य में लगभग 1,40,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें दोहरे पहचान पत्र क्रमांक के पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा गत् पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उक्त सूची एवं आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के उपरान्त भी किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस विषय में ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जिससे कि उक्त त्रुटियॉ यथावत चली आ रही हैं। इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान इन त्रुटियों एवं मतदाता

पहचान पत्र से संबंधित अन्य त्रुटियों के निराकरण के क्रम में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

6.4.1 इस सूची का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम सम्भावना यह हो सकती है कि एक ही कमांक से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र धारित मतदाताओं में से कुछ मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता सूची में दोहरी दर्ज हैं, जिस वजह से इन मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का चिन्हिकरण दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र के रूप में किया जा रहा है। इस प्रकार से चिन्हित किये गये उक्त मतदाताअें कि प्रविष्टि मतदाता सूची में एक स्थान से विलोपित की जानी है, जिससे न केवल इन मतदाताओं की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि विलोपित होगी, अपितु इन मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र क्रमांक भी दोहरे पहचान पत्र क्रमांक की सूची में से हट जायेंगे। ऐसे मतदाताओं की मतदाता सूची में से एक स्थान से प्रविष्टि विलोपित करते समय मतदाता को यह अवसर दिया जाये कि वह अपना नाम मतदाता सूची में किस स्थान पर रखना चाहता है। इसके पश्चात् ही अन्य स्थान से उक्त मतदाता का नाम निर्धारित प्रक्रियानुसार विलोपित किया जावे।

6.4.2 इस सूची में द्वितीय सम्भावना यह हो सकती है कि समान पहचान पत्र क्रमांक वाले दोनो मतदाता भिन्न–भिन्न हों परन्तु सहवन से उनकी प्रविष्टि में एक ही मतदाता की फोटो एवं पहचान पत्र क्रमांक दर्ज कर दिये हों। ऐसी स्थिति में जिस मतदाता की प्रविष्टि के साथ गलत फोटो मुद्रित पायी जाती है, उस मतदाता की नई/सही फोटो एकत्रित कर पूरक–7 के संशोधन पार्ट के माध्यम से अपलोड कर उक्त मतदाता को नये यूनिक नम्बर से नया पहचान पत्र निःशुल्क जारी किया जाये।

6.4.3 इस सूची में तृतीय सम्भावना यह हो सकती है कि समान पहचान पत्र क्रमांक वाले दोनो मतदाता भिन्न–भिन्न हों एवं मतदाता सूची में उनकी फोटो भी सही–सही मुद्रित हो परन्तु सहवन से उनकी प्रविष्टि

में एक ही मतदाता पहचान पत्र क्रमांक दर्ज कर दिये हों। ऐसी स्थिति में जिस मतदाता को बाद में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है उस मतदाता को नये यूनिक नम्बर से नया मतदाता फोटो पहचान पत्र निःशुल्क जारी किया जाए।

6.4.5 मतदाता सूची के फील्ड में सर्वे के दौरान बीएलओ से यह भी सत्यापित कराया जाए कि यदि मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि के सामने उनकी फोटो मुद्रित नहीं है (ऐसा इसलिए है कि उसे अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है) अथवा गलत मुद्रित है तो इन मतदाताओं से प्ररूप 8 में मय उक्त मतदाता की फोटो के आवेदन पत्र प्राप्त किया जाए। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची में मतदाता की फोटो भी एक प्रविष्टि है। यदि इसे मतदाता सूची में मुद्रित किया जाता है तो यह भी एक संशोधन है जिसे प्ररूप 8 में संबंधित मतदाता से आवेदन पत्र प्राप्त कर करवाया जाए। आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में मतदाता का फोटो संशोधन की पूरक सूची–7 में सम्मिलित होगा। तद्नुसार संबंधित मतदाता को निःशुल्क मतदाता फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जाए।

6.5 जिला निर्वाचन अधिकारी अभियान की अवधि में संभवतया बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर सत्यापन की अवधि के किसी भी दिन वार्ड सभा/ग्राम सभा द्वारा भी बैठक का आयोजन कर मतदाता सूची की प्रविष्टियों का पठन करवायेंगे जिससे पंजीकृत मतदाता अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक संशोधन करवा सकें, साथ ही मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं की जानकारी प्राप्त हो सके। वार्ड सभा/ग्राम सभा की बैठक कर तिथि का निर्धारण कर जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए तथा निर्धारित तिथि की जानकारी से विभाग को भी अवगत कराया जाए।

6.6 बीएलओ घर–घर जाकर सत्यापन के दौरान मतदाता सूची में अंकित क्षेत्र व परिक्षेत्र का भी सही ढंग से सत्यापन करेंगे। यदि एक ही परिक्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं को अलग–अलग परिक्षेत्रों में दर्शा रखा हो तो उनको सही

परिक्षेत्र में शामिल करवाऐंगे। इसी प्रकार पूरे क्षेत्र का सही नजरी नक्शा भी तैयार करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाते हुए सभी परिक्षेत्रों एवं मतदान केन्द्र को भी दर्शायेंगे।

7. **विशेष अभियान की तिथि** – मतदाता सूचियों के राष्ट्रीय अभियान के दौरान दिनांक 01 मई, 2016 को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस दिन बीएलओ घर–घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही नहीं करेंगे। इसके स्थान पर वह प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे, साथ ही गत् पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान के विषय में जिला स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिक मतदान केन्द्र पर पहुॅच कर मतदाता सूची से संबंधित अपनी सभी समस्याओं का निराकरण करवा सकें। **जिला निर्वाचन अधिकारी घर–घर सर्वे की अवधि अथवा अभियान की अंतिम तिथि दिनांक 31 अगस्त, 2016 से पूर्व जिले में किसी भी रविवार को विशेष अभियान का आयोजन कर सकते हैं।**

8. **अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण** – जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अनुरोध है कि वह अभियान के दौरान मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्रों, जो कि ऑनलाइन या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होंगे का निस्तारण नियमानुसार समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार करेंगे। इस कार्य हेतु सुपरवाईजर्स को विशेष रूप से निर्देश दिए जाए कि वह उनके अधीन कार्यरत बीएलओ से ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जॉच एवं आवश्यक दस्तावेज यदि आवश्यक है तो संबंधित आवेदक से यथाशीघ्र प्राप्त करें। साथ ही उनके द्वारा घर–घर जाकर यथा अभियान की तिथि के दिन प्राप्त आवेदन पत्रों को अविलम्ब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ताकि उनके स्तर पर आवेदन पत्रों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाकर कार्यक्रम की अन्तिम तिथि दिनांक 31 अगस्त, 2016 तक कार्य पूर्ण किया जा सके।

9. **अभियान के दौरान पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराना** – चूंकि संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को

अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के बाद मतदाता सूची के क्रम में प्राप्त होने वाले सभी आवदेन पत्रों की पूरक सूची 7 ऑनलाइन ईआरएमएस के माध्यम से तैयार की जाएगी जिसमें कि मतदाता का नाम पंजीबद्ध होने के बाद सॉफटवेयर के माध्यम से नव पंजीकृत मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराया जा सके। अतः संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्नुसार मतदाता सूची में इस अभियान के दौरान पंजीकृत सभी मतदाताओं को यथाशीघ्र संबंधित अनुबंधित फर्म के माध्यम से मतदाता फोटों पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें, साथ ही आनलाईन एवं ऑफलाइन पद्धति से प्राप्त होने वाले सभी आवदेकों को यथास्थिति सूचित करेंगे ताकि उन्हें जानकारी मिल सकें कि मतदाता सूची में उनका नाम पंजीकृत हुआ है अथवा नहीं।

10. **शिकायतों का निस्तारण** – जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभियान के दौरान अथवा सामान्य कार्य दिवसों में आयोग के PGRS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत एवं अन्य स्त्रोत से प्राप्त शिकायतों का PGRS पोर्टल में पंजीयन कर इनका निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुरोध है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र अभी तक जारी नहीं होने एवं उसमें त्रुटि से संबंधित शिकायतों का यथाशीघ्र निस्तारण करें। शिकायत के लम्बित रहने की अवधि में वस्तुस्थिति से शिकायतकर्ता को समय–समय पर सूचित किया जाए।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(राजेश यादव)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(2)(1)रोल/निर्वा/2015/पार्ट–II/ NERP/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
4. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (आई.टी.) जयपुर कृपया उक्त दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
5. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–ए

मतदाता से संबंधित ई–मेल आई डी/मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त करने हेतु

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम :..भाग संख्या...........................

1. मतदाता का नाम : ....
2. मतदाता सूची क्रमांक : ....
3. मतदाता फोटा पहचान पत्र नम्बर : ....
4. ई–मेल आई. डी. : ....
5. मोबाईल नम्बर : ....
6. मोबाईल का प्रकार –सामान्य/स्मार्ट फोन..
7. टेलीफोन नम्बर (**STD** कोड सहित)

दिनांक :

मतदाता के हस्ताक्षर

नोट :– मतदाता से संबंधित ई–मेल/मोबाईल नम्बर की सूचना आयोग के निर्देशानुसार स्वेच्छा से प्राप्त की जानी है।

दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र का नम्बर अंकित किया जाए।

परिशिष्ट–ए

मतदाता से संबंधित ई–मेल आई डी/मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त करने हेतु

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम :..भाग संख्या...........................

1. मतदाता का नाम : ....
2. मतदाता सूची क्रमांक : ....
3. मतदाता फोटा पहचान पत्र नम्बर : ....
4. ई–मेल आई. डी. : ....
5. मोबाईल नम्बर : ....
6. मोबाईल का प्रकार –सामान्य/स्मार्ट फोन..
7. टेलीफोन नम्बर (**STD** कोड सहित)

दिनांक :

मतदाता के हस्ताक्षर

नोट :– मतदाता से संबंधित ई–मेल/मोबाईल नम्बर की सूचना आयोग के निर्देशानुसार स्वेच्छा से प्राप्त की जानी है।

दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र का नम्बर अंकित किया जाए।

मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान – 2016

विभिन्न गतिविधियों हेतु कार्य योजना

क्र. सं.	अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्य	समयावधि	ऐजेन्सी	विशेष
1	राज्य/जिला/ERO स्तर पर मास्टर ट्रेनर, Dy DEO/ERO एवं बीएलओ का प्रशिक्षण	1. Dy DEO/DIO or ACP के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण – 15 मार्च, 2016 को जयपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला	निर्वाचन विभाग राजस्थान	प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय अभियान, ऑनलाईन ई.आर. एम.एस. एवं मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन की प्रकिया का प्रशिक्षण
		2. जिला स्तर पर ERO/AERO एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण – 31 मार्च, 2016 तक	DEO	विभाग स्तर पर प्रशिक्षित अधिकारी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे
		3. BLO/सुपरवाईजर्स का प्रशिक्षण – 10 अप्रैल, 2016 तक	ERO/AERO	उक्त प्रशिक्षकों ERO/AERO द्वारा विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय अपना ILR हैड क्वाटर मुख्यालय पर प्रायोग प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ के पास दिनांक 11.01.2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की प्रति, समुचित संख्या में फॉर्म संख्या 6, 7, 8, एवं 8क, मृत व्यक्तियों की सूची, मतदाता सूची में त्रुटियों की मांगवार सूची, दोहरे मतदाताओं की एवं एक ही नम्बर के एक से अधिक मतदाता फोटो पहचान पत्र धारित मतदाताओं की सूची एवं भाग के आंकड़े के विश्लेषण के बाद किस पेरामीटर्स यथा लिंगानुपात, जनसंख्या, मतदाता अनुपात, ऐसे मतदाता जिन्हे EPIC जारी किया जाना है या मतदाता सूची में फोटो मुद्रित नहीं है को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर किए जाने है।
2	संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों के आकड़ों का विश्लेषण कर कार्य योजना तैयार करना	1. सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदान केन्द्रवार आकड़ो का विश्लेषण कर विधान सभा क्षेत्र की कार्य योजना जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना **(विभाग का पत्रांक 830/24.02.2016)–15 मार्च 2016 तक**	DEO/ERO	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदान केन्द्रवार आकड़ो का विश्लेषण करेंगे तथा मतदान केन्द्रवार यह चिन्हित करेंगे कि अभियान के दौरान किस प्रकार से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य किया जाना है
		2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार आंकड़ों का विश्लेषण कर जिले की कार्य योजना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करना **(विभाग का पत्रांक 942/03.03.2016)– 18 मार्च, 2016 तक**	DEO	
		3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य स्तर पर आकड़ों का विश्लेषण कर भारत निर्वाचन आयोग को नोट एवं कार्य योजना भेजना–24 मार्च 2016 तक	CEO	
3.	1. (I) दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों के डेटाबेस के आधार पर मतदाता सूची में त्रुटियों को चिन्हित कर जिलेवार/विधान सभा क्षेत्रवार सूची सीडी में उपलब्ध करवाना	5 अप्रैल, 2016 तक **(निर्वाचन विभाग का पत्र कमांक 1412 दिनांक 01.04. 2016)**	निर्वाचन विभाग राजस्थान	निर्वाचन विभाग राजस्थान से सीडी अथवा ई–मेल से सूची प्राप्त होने पर DEO/ERO द्वारा सूचियों के मुद्रण का कार्य सूची जिला स्तर पर करवाया जाएगा
	1. (II) DEO/ERO द्वारा सीडी के आधार पर सूचियों का मुद्रण	10 अप्रैल, 2016 तक	DEO/ERO	उक्त सूचियॉं बीएलओ को उपलब्ध करवाई जाए।
	1. (III) बीएलओ का सत्यापन हेतु सूची उपलब्ध कराना	15 अप्रैल, 2016 से पूर्व	ERO	
	2. मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों के मतदाता सूचियॉं उपलब्ध करवाया जाना	5 अप्रैल, 2016 तक	निर्वाचन विभाग राजस्थान	उक्त सूचियॉं पूर्व में DEO/ERO को उपलब्ध करवाई गई है जिसके आधार पर सत्यापन का कार्य करवाया जा सकता है।
	3. मतदात सूची के मृत मतदाताओं की सूची पंजीयक जन्म एवं मृत्यु कार्यालय से प्राप्त कर सत्यापन हेतु BLO को उपलब्ध कराना	10 अप्रैल, 2016 तक	DEO/ERO	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उनके विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पंजीयक जन्म एवं मृत्यु के पहचान पोर्टल से मृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर बीएलओ को सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाएंगे

4	(1) फिल्ड में मतदाता सूचियों की प्रविष्टीयों का घर–घर जाकर सत्यापन करना एवं मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करना	20 अप्रैल, 2016 से 15 मई, 2016 तक	DEO/ERO	DEO/ERO उक्त समयावधि में बीएलओ को घर–घर जाकर मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों को सत्यापित करने तथा इसके साथ–साथ त्रुटियों/दोहरी प्रविष्टियों को भी सत्यापित करवायेंगे। घर–घर सत्यापन के दौरान मृत/स्थानान्तरित मतदाता का सत्यापन किया जाएगा। यथा स्थिति आवेदन पत्र भरकर प्राप्त किए जाएंगे। इसके साथ–साथ मतदाताओं के स्वेच्छापूर्वक टेलीफोन नं./मोबाईल नं./ई–मेल आई.डी. **परिशिष्ट–ए** में एकत्रित करने का कार्य किया जायेगा।
	(2) विशेष अभियान	1 मई, 2016 (रविवार)	DEO/ERO	इस दिन बीएलओ मतदान केन्द्र पर प्रातः 9 बजे से सायः 6 बजे तक उपस्थित रहकर आम नागरिकों को मतदाता सूची का अवलोकन कराएंगे तथा विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे
5	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	समस्त आवेदनों का निस्तारण 31 अगस्त 2016 से पूर्व किया जाना है।	ERO/AERO	1. राष्ट्रीय अभियान के दौरान प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ नियमों में यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नियमित रूप से किया जाए।
				2. दावें एवं आपत्तियों के निस्तारण के समय आयोग के निर्देशों की पालना यथा दावें एवं आपत्तियों की सूचना नियमित रूप से वेबसाईट पर डालना। सूची नियमित रूप से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उपलब्ध कराना एवं मतदाता सूची में अधिक/कम संख्या में जोडे/विलोपित किए गए नामों के कम में सक्षम स्तर से जांच कराना आदि की पालना की जानी है।
				3. अभियान के दौरान प्राप्त दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण नियमित रूप से किया जाए जिससे कि कार्यक्रम को अंतिम तिथि तक कोई भी प्रकरण शेष नहीं रहे।
				4. चूकि अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले सभी दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण ऑनलाईन ईआरएमएस के माध्यम से किया जाना है। इस सम्बंध में विभाग के पत्र क्रमांक 1325 दिनांक 29.03.2016 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जाए।
6	निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के बाद पूरक सूची 7 तैयार करना	20 अगस्त 2016	ERO/अनुबंधित फर्म	
7	पूरक 7 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट को तैयार करना	25 अगस्त 2016	ERO/DEO/CEO	
8	मतदान केन्द्रो का सुव्यवस्थिकरण (Rationalization)	– भौतिक सत्यापन करना (विभाग का पत्रांक 1033/10.03.2016) – 10 अप्रैल 2016 तक	ERO/DEO/CEO	
		– भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार करना – 25 अप्रैल 2016 तक		
		– जिला स्तर पर स्थाई समिति की बैठक के प्रस्तावों पर चर्चा – 30 अप्रैल 2016 तक		
		– प्रस्ताव विभाग को भेजना – 10 मई 2016 तक		
		– विभाग द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर आयोग को अनुमोदन हेतु भेजना– 31 मई 2016 तक		
9	स्वीप कार्य योजना तैयार करना	1. जिला स्तरीय स्वीप कार्य योजना तैयार करना – 31 मार्च 2016	DEO/ERO	जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार कर इसे 05.04.2016 तक विभाग को प्रेषित करना है तथा तदनुसार माह अप्रैल/मई में फिल्ड में प्रचार – प्रसार किया जायेगा
		2. राज्य स्तरीय स्वीप कार्य योजना तैयार करना – 2 अप्रैल 2016 तक	CEO	

परिशिष्ट-13

फोटो मतदाता सूची - 2013 में दोहरी मतदाता पहचान पत्र संख्या की सूची

जिला - जालौर विधानसभा : - आहौर

22 | 531 | RJ/22/173/405328 | 141 / 188
नाम : डाई
पति का नाम : सुमेर मल
मकान संख्या :116
आयु : 67 लिंग : स्त्री

1283 | RJ/ /173/405328 | 141 / 188
नाम : जयन्ति देवी
पति का नाम : भगवत प्रसाद
मकान संख्या :309
आयु : 62 लिंग : स्त्री

548 | RJ/22/173/405335 | 141 / 188
नाम : मुन्नी देवी
पति का नाम : डुगर मल
मकान संख्या :118
आयु : 87 लिंग : स्त्री

1296 | RJ/22/173/405335 | 141 / 188
नाम : शान्तिदेवी
पति का नाम : छैलमल
मकान संख्या :317
आयु : 76 लिंग : स्त्री

646 | RJ/22/173/405391 | 141 / 188
नाम : रगा राम
पिता का नाम : वरदाराम
मकान संख्या :141
आयु : 78 लिंग : पुरूष

208 | RJ/22/173/405391 | 141 / 189
नाम : रगा राम
पिता का नाम : बरदा राम
मकान संख्या :426
आयु : 79 लिंग : पुरूष

1023 | RJ/22/173/405030 | 141 / 188
नाम : कमला
पति का नाम : बाबू
मकान संख्या :222
आयु : 45 लिंग : स्त्री

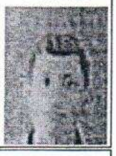

1051 | RJ/22/173/405030 | 141 / 188
नाम : भवरा
पिता का नाम : दोठाखां
मकान संख्या :227
आयु : 41 लिंग : पुरूष

34 | RJ/22/173/223080 | 141 / 189
नाम : गोमती
पति का नाम : खेताराम
मकान संख्या :385
आयु : 36 लिंग : स्त्री

374 | RJ/22/173/223080 | 142 / 149
नाम : पकंवर
पति का नाम : शेर सिंह
मकान संख्या :85
आयु : 74 लिंग : स्त्री

449 | JVF/1279504 | 141 / 189
नाम : घेवाराम
पिता का नाम : जवाहर लाल
मकान संख्या :485
आयु : 28 लिंग : पुरूष

673 | JVF/1279504 | 142 / 203
नाम : घेवा
पति का नाम : जवारा
मकान संख्या :154
आयु : 40 लिंग : स्त्री

937 | RJ/22/173/408210 | 141 / 189
नाम : लाला राम
पिता का नाम : कपुर
मकान संख्या :590
आयु : 62 लिंग : पुरूष

333 | RJ/22/173/408210 | 141 / 191
नाम : प्रवीण कुमार
पिता का नाम : गोविन्द जी
मकान संख्या :1015
आयु : 32 लिंग : पुरूष

249 | RJ/22/173/411096 | 141 / 190
नाम : उषा देवी
पति का नाम : पुखराज
मकान संख्या :679
आयु : 75 लिंग : स्त्री

305 | RJ/22/173/411096 | 141 / 190
नाम : शांति देवी
पति का नाम : रामगो पाल
मकान संख्या :695
आयु : 65 लिंग : स्त्री

519 | RJ/22/173/411283 | 141 / 190
नाम : बाबु लाल
पिता का नाम : मसरा
मकान संख्या :798
आयु : 57 लिंग : पुरूष

1127 | RJ/22/173/411283 | 142 / 190
नाम : चेतनगिरी
पिता का नाम : राजगिरी
मकान संख्या :181
आयु : 47 लिंग : पुरूष

405 | RJ/22/173/414126 | 141 / 191
नाम : तेजा राम
पिता का नाम : नथा राम
मकान संख्या :1043
आयु : 49 लिंग : पुरूष

323 | RJ/22/173/414126 | 142 / 198
नाम : सिकन्द्र अली
पिता का नाम : सतार अली
मकान संख्या :65
आयु : 41 लिंग : पुरूष

* मतदाता फोटो के ऊपर विधानसभा संख्या / भाग संख्या है |